

प्रेस-विज्ञप्तिथाना महाराजगंजअवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश; भारी मात्रा में अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरण के साथ04 अभियुक्त गिरफ्तारगिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 31.01.24 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा सहदेवगंज तिराहे पर मौजूद थे कि इतने में स्वाट टीम के उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह मिले जो अपराध व अपराधियों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि कुछ लोग ग्राम इब्राहिमपुर में घाघरा नदी की अर्धनिर्मित पुलिया के नीचे अवैध असलहा बनाने व बेचने का कार्य कर रहे हैं अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर थाना क्षेत्र में भ्रमणशील द्वितीय मोबाईल के उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह को बुलाया गया और प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज व स्वाट टीम के साथ मुखबिर के बताये गये स्थान अर्धनिर्मित पुलिया से असलहा बन रहे 07-08 व्यक्तियों को देखा गया। अर्धनिर्मित पुलिया के मध्य में मौजूद 02 आदमी लोहा भट्टी गरम कर रहे थे तथा 02 व्यक्ति रेती से पाइप हाथ में लेकर रेत रहा है। 01 व्यक्ति हाथ में तमंचा लेकर 03 व्यक्तियों को तमंचा दिखाकर सौदेबाजी कर रहा है। मौके से 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया तथा अन्य व्यक्ति देवारा व गन्ना तथा झुरमुट का फायदा उठाकर भागने लगे जिन्हे उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह ने कुछ ही दूरी पर 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा शेष 04 व्यक्ति मौके से फरार हो गये। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः 1. बिजराज विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा निवासी त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, 2. मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा निवासी मुहम्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़, 3. संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव निवासी कुड़ही थाना महाराजगंज, 4. संजय कुमार पुत्र रामनाथ राम निवासी देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया। मौके से अवैध असलहा- कारतूस के साथ असलहा बनाने की सामग्री/उपकरण जैसे 09 देशी निर्मित तमंचा 315 बोर, 02 अर्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, व असलहा बनाने के उपकरण (विभिन्न साईज की 6 रेती, 3 सुम्भी लोहे, 3 लोहे की पाईप, 20 लोहे की कील, 2 छेनी लोहे की, 7 प्रिंग लोहे की, 2 लोहे की सरसी, 1 लोहे का पिलास, लोहे की चादर के टुकड़े, 6 लोहे का फर्मा, 01 तार लोहे का व भट्टी बरामद हुआ है। उपरोक्त अभियुक्तों को समय सुबह 05.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/24 धारा 3/5/12/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जो व्यक्ति भागे है वह व्यक्ति असलहा खरीदने व बेचने का कार्य करते थे। जो मेरे और मेरे साथ पकड़े गये संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव निवासी कुड़ही थाना महाराजगंज के माध्यम से असलहा सप्लाई करते हैं तैयार किये हुए असलहें जो यहां पड़ा है उन्ही को देना था तब तक आप लोग आ गये इससे पहले भी उनको हम लोग काफी असलहे बनवाकर दे चुके हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 36/24 धारा 3/5/12/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. बिजराज विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा निवासी त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
2. मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा निवासी मोहम्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़।
3. संजय कुमार पुत्र रामनाथ राम निवासी देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
4. संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 उदयभान यादव सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़। (HS थाना महाराजगंज)

बरामदगी-

- 1- 09 देशी निर्मित तमंचा 315 बोर, 02 अर्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,
- 2- असलहा बनाने के उपकरण (विभिन्न साईज की 6 रेती, 3 सुम्भी लोहे, 3 लोहे की पाईप, 20 लोहे की कील, 2 छेनी लोहे की, 7 प्रिंग लोहे की, 2 लोहे की सरसी, 1 लोहे का पिलास, लोहे की चादर के टुकड़े, 6 लोहे का फर्मा, 01 तार लोहे का व भट्टी

### आपराधिक इतिहास-

1. बिजराज विश्वकर्मा (मुकदमा उपरोक्त)
2. संजय कुमार(मुकदमा उपरोक्त)
3. मोती विश्वकर्मा

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1.	36/24	3/5/12/25 आर्म्स एक्ट	महराजगंज
2.	231/19	419/420/467/468/471 भादवि	मुबारकपुर
3.	232/19	419/420/467/468/471 भादवि	मुबारकपुर
4.	373/11	380/457 भादवि	मुबारकपुर
5.	406/12	3/5/25/27 भादवि	रौनापार
6.	407/12	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार
7.	367/11	307/324 भादवि	सिधारी
8.	506/11	307 भादवि 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट	सिधारी

4. संजय उर्फ रविन्द्र यादव

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1.	36/24	3/5/12/25 आर्म्स एक्ट	महराजगंज
2.	231/20	504/506 भादवि	महराजगंज
3.	122/21	302/307/34/504/506 भादवि	महराजगंज
4.	357/22	3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट	महराजगंज

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता थाना महराजगंज आजमगढ़
2. उ०नि० शैलेश कुमार यादव थाना महराजगंज आजमगढ़
3. हे०का० देवेन्द्र गिरि, हे०का० सुबाषचन्द्र यादव, हे०का० श्रीनारायन यादव, का० संतोष सिंह राजपूत, का० शनि कुमार वर्मा, म०का० पूजा गुप्ता थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
4. उ०नि० श्रीप्रकाश शुक्ला, मु०आ० विनोद सरोज, मु०आ० सत्येन्द्र यादव, मु०आ० अवधेश यादव, का० धर्मेन्द्र कुमार स्वाट टीम आजमगढ़।
5. का० संजय सिंह सर्विलांस सेल, आजमगढ़।